समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला राजस्व शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 16-12-2015 को समाहरणालय सभा कक्ष में केबुल टी0 भी0 डिजिटाईजेशन कार्यकम के कियान्व्यन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार

कार्यवाही :-

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय द्वारा जारी निदेश के अनुसार सभी शहरी क्षेत्रों में दिनांक 31.12.2015 तक केवल टेलीविजन सेक्टर में एनेलॉग प्रसारण को समाप्त करते हुए दिनांक 01.01.2016 से टेलीविजन पर डिजिटल माध्यम से प्रसारण होना सुनिश्चित किया गया है जिसकी तैयारी करने के लिये उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज/ नगर परिषद, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी Local cable operater की सूची प्राप्त कर लें तथा उनकी बैठक बुलाकर इस तथ्य से उन्हें अवगत करायें कि दिनांक 01.01.2016 से स्थानीय केबल नेटवर्क के द्वारा टेलीविजन से डिजिटल सिगनल प्रशारित किया जाएगा।
2. सभी Local cable operater पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता के अनुसार सेट टॉप बॉक्स की व्यवस्था अपने स्तर से कर लें तथा सम्बद्ध केबल उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर उपलब्ध कराएँ। कार्यपालक पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।
3. दिनांक 01.01.2016 से एनलॉग सिगनल प्रसारण की स्थिति में केवल संचालकों का केवल उपकरण जप्त कर लिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध Cable T. V. Network Act तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायगी। अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से होगा।
4. सभी Local cable operater को स्थानीय मुख्य डाकघर से विहित प्रपत्र में अपने फार्म का निवंधन कराना होगा। केवल ऑपरेटर को विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दी जाय। प्रपत्र की प्रति संलग्न है। मुख्य डाकपाल/उपडाकपाल इसका अनुपालन सुनिर्श्चित करेंगे।

5. सभी केवल ऑपरेटर Basic Service Tier (BST) के तहत कम से कम 100 मुफ्त चैनल (Free to Air) प्रसारित करेंगे जो कि सभी प्रकार के क्षेत्र। को आच्छादित करेगा तथा इसकी कीमत 100 रू0 से ज्यादा की नहीं होगी। उपभोक्ता इसके अतिरिक्त अन्य चैनल, निर्धारित मूल्य पर अपने इच्छा के अनुसार देख सकेंगे।

6. कार्यपालक पदाधिकारी सभी केबल ऑपरेटर से उपभोक्ताओं की सूची/देय राशि/कार्यस्थल की जानकारी प्राप्त कर पंजी संधारण अपने कार्यालय में करेंगे।

7. मुख्य डाकधर, मधेपुरा/मुरलीगंज के डाकपाल सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय केबल आपरेटर का आवेदन विहित प्रपत्र में सभी वांछित कागजातों के साथ दिया जाता है, तो उन्हें 24 धंटे के अन्दर निवंधन सं0 देते हुए Form -3 में प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसमें हुए बिलंब/अनियमितता की शिकायत आती है, तो संवंधित कार्यपालक पदाधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे।

8. नगरपालिका क्षेत्र मधेपुरा/मुरलीगंज में अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा दिनांक 01.01.2016 से सभी स्थानीय केबुल ऑपरेटर के कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि केबुल ऑपरेटर द्वारा डिजिटल माध्यम से सभी धरों में डिजिटल सिगनल दिया जा रहा है। Cable T. V. Network (regulation) Act 1995 तथा Cable T. V. Network (Amndt.) Act 2011 के उलंधन की स्थिति में अनुमंडल पदा0 केबुल उपकरण जप्त करने की कार्रवाई करेंगे तथा कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

9. संवंधित कार्यपालक पदाधिकारी स्थानीय केबुल ऑपरेटर की सूची/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को 31.12.2015 के पहले उपलब्ध करायेंगे।

10. वाणिज्य कर पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय Local cable operater के साथ सम्बद्ध ग्राहकों की सं0 के द्वारा किये गये भुगतान के अनुरूप सही मनोरंजन कर /सेवा कर /अन्य कर जो अपेक्षित हो, कि वसूली शत-प्रतिशत हो सके। वे स्थानीय Local cable operater के कार्यालय पर निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत हो कर शत-प्रतिशत कर की वसूली करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी से वे इसकी सूची प्राप्त कर लेंगे।

11. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे प्रचलित स्थानीय समाचारपत्रों के माध्यम से बैठक में लिये गये निर्णयों तथा दिनांक 01.01.2016 से डिजिटल प्रसारण की बाध्यता से संवंधित समाचार प्रमुखता से प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

12. स्थानीय नगरपालिका क्षेत्र में संवंधित कार्यपालक पदाधिकारी माईकिंग से डिजिटल प्रसारण की बाध्यता संवंधित समाचार प्रसारित करवाना सुनिश्चित करें।

13. अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिये सूचना प्रसारण मंत्रालय का TOLL FREE NO- 18001804343 तथा Website-www.digitalindia mib.com, www.tra.gov.in, www. mib.nic.in से सम्पर्क किया जा सकता है।

14. थानाध्यक्ष, मुरलीगंज/मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि केबुल टी0भी0एक्ट के उल्लंघन को अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के संज्ञान में लाया जाय तथा कानूनी कार्रवाई किया जाय।

15. बैठक में दिये गये निदेश की समीक्षा प्रत्येक माह आंतरिक संसाधन की बैठक के उपरांत की जायेगी, जिसमें सभी सम्बद्ध पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
समाहर्त्ता
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1083-2 /रा0, मधेपुरा, दिनांक 28/12/2015।

प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, मधेपुरा नगर परिषद/ नगर पंचायत मुरलीगंज / वाणिज्य कर उपायुक्त, मधेपुरा / जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा / उप डाकपाल, मुख्य डाकधर, मधेपुरा / मुरलीगंज/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा / मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला संवाददाता, हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजने तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता
मधेपुरा।